न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी – पंकज बडगूजर (**RAS**)

दावा संख्या	रजु दिनांक	पर्चा डिकी दिनांक
69 / 2022	27.04.2022	22.06.2022

// अनुवान //

1 सुखराम
2 रूडाराम पुत्रान जयसिंह जातियान अहीर निवासीयान बावद सक्तपुरा तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0

वादीगण

बनाम

1 उदयभान पुत्र लहरीराम
2 ज्ञानचन्द पुत्र उदयभान
3 श्रीमती विजेन्द्र पत्नि उदयभान
4 श्रीमती बिना देवी पत्नि ज्ञानचन्द जातियान अहीर निवासीयान बावद सक्तपुरा तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0
5 श्रीमान लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, मुण्डावर

प्रतिवादीगण

दावा– दखलयाबी एवं हु0ई0 दवामी अन्तर्गत धारा 183, 188 राज0 काश्तकारी अधि0

दावा इस्तकरारहक मय हु0ई0 दवामी

–: पर्चा डिकी :–

दिनांक :– 22.06.2022

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री पृथ्वीसिंह यादव की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 22.06.2022 को पंकज बडगूजर उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

वादीगण द्वारा आराजी खसरा नं0 222 वाके ग्राम बावद तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबत् के अंतर्गत धारा 183, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम के वाद को वादीगण द्वारा [illegible] के माध्यम से पूर्णरूप से साबित कर दिए जाने पर स्वीकार [illegible] पाये जाने [illegible] वाद वादीगण डिक्री किया जाता है एवं प्रतिवादीगण अपना कब्जा हटाकर वादीगण के कब्जेकाश्त खातेदारी की उक्त आराजी खसरा नं0 222 वाके ग्राम बावद तहसील मुण्डावर का वादीगण को कब्जा सुपुर्द [illegible] जाने के आदेश दिए जाते एवं साथ ही उक्त विवादित आराजी से लगते हुए आम रास्ते के रूप में उपयोग हो रहे खसरा नं0 216 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.11.11 15:23:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

से भी प्रतिवादीगण द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाया जाकर आम रास्ते के रूप में उपयोग में ली जा रही भूमि को रास्ते के प्रयोजन हेतु खाली कराए जाने के आदेश दिए जाते है तथा प्रतिवादीगण को सदैव–सदैव के लिए हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबंद किया जाता है कि वे उक्त आराजियात में वादीगण के कब्जेकाश्त में किसी भी तरह से ना तो स्वयं ही मजाहमत पैदा करे ना ही किसी अन्य से ही मजाहमत मदाखलत करावे पाबंद रहे। इस हेतु तहसीलदार मुण्डावर को कराए जाने पालना अहकाम जारी हो।

खर्चा मुकदमा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 22.06.2022 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गयी।

22-06-22

(पंकज बडगूजर)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.11.11 15:23:48 IST
Reason: SelfAttested